यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कीर्तिनगर (टिहरी गढवाल) द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कीर्तिनगर (टिहरी गढवाल) के माह 02/2016 से 01/2019 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 14.02.2019 से 18.02.2019 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार एवं श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 10.02.2016 से 16.02.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 04/2012 से 01/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2016 से 01/2019 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत स्थापित चिकित्सालय, उप–केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त योजनाओं का सम्पादन किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण विकास खण्ड है, जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का उपचार किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016–17	–	–	270.62	239.48	130.95	76.69	–	31.14	–	54.26
2017–18	–	–	366.56	348.52	–	–	–	18.04	–	–
2018–19 (01/2019)	–	–	365.40	307.17	–	–	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत			

* अवशेष बचत की धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः:

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016–17	एन0एच0एम0 इत्यादि	12.97	73.15	71.64	–	14.48
2017–18		14.48	60.42	61.56	–	13.34

2018–19 (01/2019 तक)		13.34	96.16	54.83	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश के रुप में राज्य स्तर से तथा एन0एच0एम0 का आबंटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

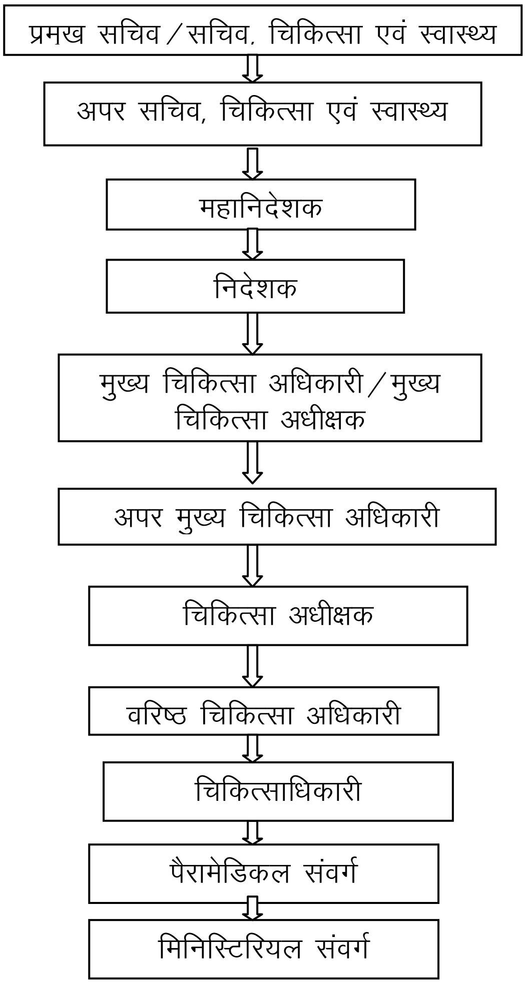

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि : लेखापरीक्षा में कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कीर्तिनगर (टिहरी गढवाल) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कीर्तिनगर (टिहरी गढवाल) की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 एवं अगस्त 2018 को विस्तृत जॉच हेतु चयनित लेखापरीक्षा अवधि के माहों में अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 यूजर चार्जेज के रुप में रु0 31,338.00 का अनियमित व्यय।

राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों में रोगियों को बेहतर एवं गुणवत्तापरक चिकित्सीय सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा सेवा शुल्क में संशोधन हेतु शासन द्वारा शासनादेश संख्या 715/XXVIII–5–2010–101/2003 दिनांक 21 जून 2010 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किए। निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार पंजीकरण शुल्क, विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय परीक्षण सेवा/सुविधाओं के प्रसंग में प्राप्त होने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत अंश राजकीय कोष में तथा 50 प्रतिशत अंश सम्बन्धित इकाई के स्तर पर चिकित्सालय रख–रखाव हेतु चिकित्सा प्रबंधन समिति के खाते में जमा की जानी थी। इसके अतिरिक्त प्राप्ति एवं व्यय नियम 1983 के प्रस्तर 6 के अनुसार राजस्व के रुप में प्राप्त समस्त धनराशि को बिना विलम्ब किए कोषागार या बैंक में जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल के यूजर चार्जेज से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा यूजर चार्जेज के रुप में प्रतिदिन प्राप्त राशि को एकमुश्त रुप में एक माह के विलम्ब से अगले माह में राजकीय कोष/बैंक खाते में जमा किया जा रहा था तथा यूजर चार्जेज के रुप में प्राप्त राशि को नियमानुसार राजकीय कोष एवं चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में जमा नहीं किया जा रहा था। कार्यालय को वर्ष 2016–17 से 2018–19 (01/2019) तक कुल रु0 216258.00 की धनराशि प्राप्त हुई थी। नियमानुसार प्राप्त धनराशि को बराबर–बराबर अनुपात में अर्थात रु0 108129.00 राजकोष तथा चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में जमा किया जाना था, परन्तु चिकित्सालय द्वारा इसके विपरीत राजकोष में रु0 106942.00 एवं चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में रु0 77978.00 ही जमा किए गये, जो कि उक्त शासनादेश का सीधा उल्लंघन था **(माहवार विवरण संलग्न)**। इसप्रकार, कुल प्राप्त धनराशि के सापेक्ष रु0 31338.00 (राजकोष रु0 1187.00 तथा चिकित्सा प्रबन्धन समिति : रु0 30151.00) कम जमा किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	कुल प्राप्त यूजर चार्जेज	समिति के खाते में जमा की जाने वाली राशि	समिति के खाते में जमा की गई राशि	समिति के खाते में कम जमा की गई राशि	राजकोष में जमा की जाने वाली राशि	राजकोष में जमा राशि	राजकोष में कम जमा राशि
2016–17	37374.00	18687.00	17076.00	1611.00	18687.00	18307.00	380.00
2017–18	87600.00	43800.00	33625.00	10175.00	43800.00	39786.00	4014.00
2018–19	91284.00	45642.00	27277.00	18365.00	45642.00	48849.00	(+) 3207.00
योगः–	**216258.00**	**108129.00**	**77978.00**	**30151.00**	**108129.00**	**106942.00**	**1187.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि चिकित्सा प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष की अनुमति से कार्यालय के दैनिक उपयोग की सामग्रियों हेतु प्राप्त धनराशि में से आवश्यकतानुसार नकद में व्यय किया गया, जिससे यह भिन्नता आई। विलम्ब से धनराशि जमा किए जाने के सम्बन्ध में बताया कि यूजर चार्जेज की दैनिक प्राप्त राशि कम होने के कारण पूरे माह की धनराशि एकमुश्त जमा की जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूजर चार्जेज में प्राप्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष एवं चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में 50 : 50 प्रतिशत के हिसाब से तथा राजस्व के रुप में प्राप्त समस्त धनराशि को बिना विलम्ब किए कोषागार या बैंक में जमा किया जाना चाहिए।

अतः यूजर चार्जेज के रुप में रु0 31,338.00 के अनियमित व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 रु0 24.79 लाख के व्यय वाउचर प्रस्तुत न किया जाना।

प्राप्ति एवं संदाय नियमावली 1983 के नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी फार्म जी0ए0आर0 3 में रोकड बही का रख–रखाव करेगा तथा समस्त वित्तीय लेनदेन के घटित होने पर उसमें प्रविष्टि करेगा। माह के अन्त में रोकड बही के अवशेष का सत्यापन एवं इस आशय का प्रमाण–पत्र स्वहस्तालेख में अंकित करेगा। इसके अतिरिक्त शासन के पत्रांक 3/XXXVII(6)/2013 दिनॉक 02.01.2013 के बिन्दु संख्या 4.9 में ई–पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इंटरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धित के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों यथा 11–सी पंजिका, रोकड बही, बिल रजिस्टर इत्यादि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल की विस्तृत जॉच हेतु चयनित माह मार्च 2017 एवं अगस्त 2018 तथा अंकगणितीय शुद्धता की जॉच हेतु चयनित माह मार्च 2016 एवं मार्च 2018 की रोकड बही की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा चयनित माहों में ई–पेमेंट के माध्यम से वेतन मद में भुगतानित धनराशि 24.79 लाख के व्यय वाउचर लेखापरीक्षा सत्यापन जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसके कारण लेखापरीक्षा दल द्वारा विस्तृत जॉच हेतु चयनित माह के उक्त व्यय बाउचरों की सत्यापन जॉच नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत् हैः–

माह	वाउचर संख्या	धनराशि
मार्च 2017	ए–22100013	621525.00
	ए–22100016	20242.00
	ए–22100082	806357.00
	ए–22100083	161269.00
	ए–22100084	330000.00
	ए–22100092	462323.00
अगस्त 2018	ए–22100071	76840.00
योग :–		**2478556.00**

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की चयनित माहों की रोकड बहियों में अंकित प्रविष्टियॉ एवं मासिक लेखाबन्दी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित व्यय वाउचरों की वेतन शीट उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तुत नहीं किए जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को रोकड बही का रख–रखाव कर प्रत्येक लेन–देन की प्रविष्टि की जानी चाहिए थी तथा व्यय वाउचरों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था।

अतः रु0 24.79 लाख के व्यय वाउचर प्रस्तुत न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 ब्याज की धनराशि रु0 1.29 लाख को राजकोष में जमा न किया जाना।

शासनादेश संख्या 99/xxvii (14)/2009 दिनॉक 03 सितम्बर 2009 के अनुसार समेकित निधि से आहरित धनराशि पर अर्जित ब्याज की राशि को राजकोष में लेखाशीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियों के अन्तर्गत जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल के लेखा– अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि एन0एच0एम0 के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 (जनवरी 2019) तक रु0 128907.00 की धनराशि ब्याज के रुप में पडी हुई थी, जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	**राशि**
2016–17	32304.00
2017–18	66107.00
2018–19	30496.00
योगः–	**128907.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि बैंक ब्याज को जमा किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा की जानी चाहिए थी।

अतः ब्याज की धनराशि रु0 1.29 लाख को राजकोष में जमा न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
187 / 2015–16	–	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
187 / 2015–16	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	

भाग–IV
इकाई के सर्वोत्तम कार्य

–– शून्य ––

भाग–V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कीर्तिनगर (टिहरी गढवाल) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i)
   (ii) } –– शून्य ––

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i)
   (ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 संजय जैन	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	29.10.2015 से 06.01.2017
2.	डा0 रामकुमार	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	06.01.2017 से 06.06.2017
3.	डा0 धर्मेन्द्र उनियाल	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	06.06.2017 से 16.01.2018
4.	डा0 विनय शर्मा	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	16.01.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कीर्तिनगर (टिहरी गढवाल) को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ रोड, निकट आई0एच0एम0, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ सामाजिक क्षेत्र